



भारत सरकार / Government of India
वस्त्र मंत्रालय / Ministry of Textiles
पटसन आयुक्त का कार्यालय / Office of the Jute commissioner
पटसन भवन, सीएफ ब्लॉक / Patsan Bhawan, CF Block,
सातवां व आठवां तल, एक्शन एरिया-I / 7th & 8th Floor, Action Area-I
न्यूटाउन, कोलकाता / Newtown, Kolkata – 700156

फाइल संख्या : पटसन(विपणन)/13/2004-IV

दिनांक: 14.05.2025

2025-26 अवधि (सीजन) (जुलाई-जून) हेतु टीडी 3 श्रेणी (पुराने श्रेणीकरण के अनुसार टीडी 5 के समतुल्य) के कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. 5650/- प्रति क्विंटल निर्धारित करने के केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार तथा कच्चे जूट का व्यापार करने वाले विभिन्न निकायों के अधिकारियों के साथ दिनांक 01.05.2025 को इस कार्यालय में संपन्न बैठक के परिणामस्वरूप पटसन आयुक्त द्वारा पूरे भारत में जूट और मेस्टा/बिमली की सभी श्रेणियों हेतु संगत न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया गया है।

2025-26 अवधि (सीजन) के लिए पूरे भारत में कच्चे जूट और मेस्टा/बिमली के विभिन्न प्रकार की श्रेणियों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार है-

पूरे भारत में				रु./क्विंटल				
			प्रकार	टीडी-1	टीडी-2	टीडी-3	टीडी-4	टीडी-5
				डब्लू-1	डब्लू-2	डब्लू-3	डब्लू-4	डब्लू-5
	श्रेणी विभेदक			टीडी-3 +700	टीडी-3 +500	REF	टीडी-3 -525	टीडी-3 -775
			तोस्सा	6350	6150	5650	5125	4875
			सफेद	6350	6150	5650	5125	4875

मेस्टा/बिमली

	एम 1 ओ.टीओपी	एम 2 ओ.टीओपी	एम 3 ओ.टीओपी	एम 4 ओ.टीओपी	एम 5 ओ.टीओपी	एम 6 ओ.टीओपी
मेस्टा/बिमली	4135	3985	3860	3760	3660	3560

2025-26 अवधि (सीजन) के दौरान कच्चे जूट के मूल्य समर्थन संबंधी कार्यों की निगरानी के लिए भारतीय पटसन निगम नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता रहेगा।

मलय चंदन चक्रवर्ती
पटसन आयुक्त

3/d